—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 37/2025

उनवान

इकबाल पुत्र मौहम्मद शरीफ जाति मुसलमान निवासी 1608, रावण का मैदान, नसीराबाद
—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिक्ता श्री तारीक सुहैल

बनाम

1. ग्लेडविन पुत्र जूलियस जाति ईसाई, निवासी ग्राम आशापुरा, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 अनुपस्थित, 2 जरियें जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 12.11.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम आशापुरा के हाल खसरा नम्बर 191 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 190 का उपयोग किया जाता है, जो कि राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की है। उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नही है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। अतः प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहा। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम आशापुरा के हाल खसरा नम्बर 191 रकबा 0.18 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 190 का उपयोग किया जाता है। खसरा नम्बर 190 रकबा 0.10 अप्रार्थी संख्या 1 के दर्ज है। उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नही है। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग नही है। अन्य वैकल्पिक मार्ग का उल्लेख नही है। चाहा गया नवीन मार्ग सबंधित काश्तकार द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। मौका रिपोर्ट पर प्रकरण का कोई खण्डन नही है। मौका पर्चा में अप्रार्थी संख्या 1 के भी हस्ताक्षर है। उसके द्वारा प्रकरण का कोई खण्डन नही किया गया है। मौका रिपोर्ट से मार्ग की आत्यतिंक आवश्कता सि[illegible] है। [illegible] करने के अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा 30 फिट चौडा मार्ग चाहा है। किन्तु [illegible] के लिये 15 फिट मार्ग दिया जाना उचित होगा।

उक्तानुसार ग्राम आशापुरा के हाल खसरा [illegible] 190 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम आशापुरा के खसरा नम्बर 190 में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.11.14 10:09:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मीटर लम्बा व 4.57 मीटर चौडा कुल 141.67 वर्ग मीटर भूमि गै.मु. रास्तें के रूप में सिवायचक खाते में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद खसरा नम्बर 190 की भूमि के बदले 6659/अक्षरे छः हजार छः सौ उनसठ रूपये अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान होने के बाद राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद कराने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.11.14 10:09:48 IST
Reason: SelfAttested